न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 73/2018

उनवान

1. नौसर पत्नी बिरदीचन्द जाति भांबी निासी ग्राम गोठियाना नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री अभिषेक जैन

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :– 1 जरियें राज0 पैरोकार
2. दिलीप सिंह पुत्र लादूराम जाति मेघवाल निवासी नरहड, चिडावा, झुंझनु (तर्क)
—— प्रफोर्मा प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करने बाबत।

दिनांक :– 25.6.19

–: निर्णय :–

वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 525/4563 रकबा 1.34 है की आराजी वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 940/4913 था जिसका कुल रकबा 1.46 है0 था। वादी की खातेदारी का हाल राजस्व मानचित्र साबिक खसरा नम्बर के अनुरूप नही बनाया है। एवं हाल राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण बना दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी की राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती पूर्व में न्यायालय द्वारा जारी निर्णय के आधार पर हुयी है अतः वाद खारिज योग्य है।

वाद विचारण के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा प्रफोर्मा प्रतिवादी का नाम तर्क करवाया गया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी दुरूस्ती का अधिकारी है ?
—— वादी

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं वादी का शपथ पत्र पेश किया।

राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

——2

Scanned by CamScanner

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी की है। उक्त आराजी का रकबा जमाबंदी में सही अंकित है। एवं मौके पर वादीजमाबंदी में अंकित रकबे पर ही काबिज है। आराजी मुतनाजा का साबिक खसरा नम्बर 940/4913 बडे रकबे का था, जिसके कई हाल खसरा नम्बर बने है। वादी की खातेदारी का खेत भी उक्त साबिक खसरा नम्बर से ही बना है। पूर्व व हाल राजस्व मानचित्र में खेत की चौडाई का अन्तर है। राज0 पैरोकार का कथन है कि खसरा नम्बर 525/4563 की दुरूस्ती पूर्व में न्यायालय के आदेश द्वारा की गयी थी। किन्तु न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश की प्रति पेश नही की है। साथ ही अपने जवाब में हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटि होने के तथ्य का खण्डन नही किया है। बंदोबस्त विभाग को हाल राजस्व मनचित्र का समस्त अंकन पूर्व मानचित्र के अनुरूप ही करना था। उक्तानुसार त्रुटि दुरूस्त करने से जमाबंदी में वादी की आराजी का रकबा भी परिवर्तित नही होगा। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में ऐसे कोई तथ्य अंकित नही किये है जिससे वाद पत्र के तथ्यों का खण्डन होता हो। **भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजस्व मानचित्र को आंदिनाक व सही रखने एवं पायी गयी त्रुटि दुरूस्त करने का कर्त्तव्य भू अभिलेख अधिकारी का है।** प्रस्तुत प्रकरण में हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त होने से प्रतिवादी के हितो पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। वादी हाल राजस्व मानचित्र दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 525/4563 रकबा 1.34 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को हाल मानचित्र में दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्व्यं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

(जिला - अजमेर)

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

नौसर बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 73/2018
पेश करने की दिनांक – 15.5.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू सुरेश कुमार चावला (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक अभिषेक जैन मुद्दई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 525/4563 रकबा 1.34 की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी पर हाल व साबिक राजस्व मानचित्र की तुलना कर पायी गयी त्रुटि को हाल मानचित्र में दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्व्यं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक २८ माह ०६ सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner